स0 स0–टी–3/भवन–17/2012–1783/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक– 9 –6 –2016

विषयः– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीवान के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैन्टीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में कुल रू0 5,89,00,000/–(पॉच करोड़ नवासी लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में दी गयी थी। 13वें वित्त आयोग के कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् कुल राशि **रू0 5,89,00,000/–(पॉच करोड़ नवासी लाख)** मात्र के संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीवान के भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–132 दिनांक–24–01–13 द्वारा कुल राशि रू0 5,89,00,000/–(पॉच करोड़ नवासी लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में मुख्य शीर्ष–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–051–निर्माण, माँग सं0–3, उप शीर्ष–0113–औ0 प्र0 संस्थानों के भवनों का निर्माण (वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में), विपत्र कोड–पी0–4059600510113, राज्य स्कीम कोड–बी0 यू0 आई0–5580 से व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परन्तु 13वें वित्त आयोग के कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् उक्त स्वीकृत्यादेश को अवक्रमित करते हुए कुल राशि **रू0 5,89,00,000/–(पॉच करोड़ नवासी लाख)** मात्र की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–3505, दिनांक–11/04/2016 द्वारा दी गयी सहमति के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है।

2– इस योजनान्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60–अन्य भवन, लघु शीर्ष 051–निर्माण, माँग संख्या–3, उप शीर्ष–0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड–**P4059600510112** राज्य योजना स्कीम कोड **BUI-5579** से की जाएगी। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक–एम0 4–05198–2561 वि0 (2) दिनांक– 17–04–1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सीवान से की जायेगी।

5– कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– व्यय के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7– संचिका संख्या– टी–3/भवन–17/2012 के पृष्ठ–16/टि0 पर विभागीय सचिव का प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव तथा पृष्ठ–17/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त है।

8– पूर्व में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

9/6/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– टी–3/भवन–17/2012–1783 /प ट ना, दिनांक– 9–6 –2016

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/6/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– टी–3/भवन–17/2012–1783 /प ट ना, दिनांक– 9–6 –2016

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा/जिला पदाधिकारी, सीवान/जिला कोषागार पदाधिकारी, सीवान/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, सीवान/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीवान/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/6/16
संयुक्त सचिव